भारत सरकार

गृह मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3110

दिनांक 30 मार्च, 2022 / 09 चैत्र,1944 (शक) को उत्तर के लिए

कैदियों को दी जाने वाली मजदूरी

3110 श्रीमती फूलो देवी नेतम:

प्रो. मनोज कुमार झा:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार द्वारा अधिसूचित की गई न्यूनतम मजदूरी के अनुसार कैदियों को मजदूरी प्रदान करते हैं;

(ख) यदि नहीं, तो मंत्रालय द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं कि कारागारों में कैदियों का शोषण न हो; और

(ग) क्या सरकार की कारागार विकास बोर्ड की स्थापना करके कैदियों के कल्याण में योगदान देने वाले कार्यकलापों की संख्या बढ़ाने की मंशा है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय कुमार मिश्रा)

(क) से (ग): राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) द्वारा उसे सूचित किए गए कारागार संबंधी आंकड़ों को संकलित करता है और इन्हें अपने वार्षिक प्रकाशन "प्रिजन स्टेटिस्टिक्स इंडिया" में प्रकाशित करता है। नवीनतम प्रकाशित रिपोर्ट वर्ष 2020 की है। वर्ष 2020 के दौरान दोषसिद्ध व्यक्तियों को भुगतान की गई मजदूरी का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा अनुलग्नक में दिया गया है।

भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची II की प्रविष्टि 4 के तहत 'कारागार'/'उनके भीतर बंद व्यक्ति' "राज्य सूची" का विषय है। कारागारों और कैदियों का

प्रशासन एवं प्रबंधन संबंधित राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है, जो कैदियों की मजदूरी में संशोधन या वृद्धि करने और कैदियों के कल्याण के लिए कारागार विकास बोर्ड स्थापित करने के लिए सक्षम हैं। गृह मंत्रालय ने भी कैदियों के कल्याण के लिए कई पहल की हैं। वर्ष 2016 में गृह मंत्रालय द्वारा तैयार किए गए और सभी राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को परिचालित किए गए "मॉडल कारागार मैनुअल" में 'व्यावसायिक प्रशिक्षण और कौशल विकास कार्यक्रम', 'कैदियों का कल्याण', 'बाद की देखभाल और पुनर्वास', 'कैदियों की शिक्षा' आदि पर समर्पित अध्याय निहित हैं। "मॉडल कारागार मैनुअल" में यह प्रावधान है कि कैदियों को भुगतान की जाने वाली मजदूरी उचित और समान होनी चाहिए और संबंधित राज्य सरकारों द्वारा समय-समय पर अधिसूचित न्यूनतम मजदूरी को ध्यान में रखते हुए दरों को मानकीकृत किया जाना चाहिए। गृह मंत्रालय ने कारागार में बंद कैदियों के कल्याण के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को विभिन्न एडवाइजरी भी जारी की हैं।

****

अनुलग्नक

वर्ष 2020 के दौरान दोषसिद्ध व्यक्तियों को प्रतिदिन भुगतान की गई राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार मजदूरी

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	दोषसिद्ध व्यक्तियों को प्रतिदिन भुगतान की गई मजदूरी (रुपये में)		
		कुशल	अर्ध कुशल	अकुशल
1	आंध्र प्रदेश	70	50	30
2	अरुणाचल प्रदेश	75	-	55
3	असम	पुरूष-75, महिला-100	पुरूष-55, महिला-80	-
4	बिहार	156	112	103
5	छत्तीसगढ़	75	-	60
6	गोवा	80	60	50
7	गुजरात	100	80	70
8	हरियाणा	60	50	40
9	हिमाचल प्रदेश#	-	-	300
10	झारखंड	144	113	91
11	कर्नाटक$	225	200	175
12	केरल	152	127	63
13	मध्य प्रदेश	120	-	72
14	महाराष्ट्र	67	61	48
15	मणिपुर	50	40	30
16	मेघालय	148	141	132
17	मिजोरम	30	24	20
18	नागालैंड	135	125	115
19	ओडिशा	60	50	40
20	पंजाब	60	50	40
21	राजस्थान	180	-	156
22	सिक्किम	40	30	30
23	तमिलनाडु	200	180	160
24	तेलंगाना*	70	30	-
25	त्रिपुरा	33	28	24
26	उत्तर प्रदेश	40	30	25
27	उत्तराखंड	65	51	46
28	पश्चिम बंगाल	100	90	80
29	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	110	-	87
30	चंडीगढ़	110	100	90
31	दादरा और नगर हवेली तथा दमण और दीव	-	-	-
32	दिल्ली	308	248	194
33	जम्मू और कश्मीर	72	-	60
34	लद्दाख	-	-	-
35	लक्षद्वीप	-	-	-
36	पुदुचेरी	180	160	150

हिमाचल प्रदेश में कुशल, अर्धकुशल और अकुशल कैदियों जैसा कोई वर्गीकरण नहीं है।

$ कर्नाटक, कारागारों में काम करने वाले दोषसिद्ध व्यक्तियों के लिए मजदूरी प्रणाली की 4 श्रेणियों का अनुसरण करता है, जैसे कि अत्यधिक कुशल (250/- रुपये प्रतिदिन मजदूरी), कुशल, अर्ध कुशल और अकुशल कैदी।

*तेलंगाना: इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड आउटलेट्स में काम करने वाले कैदियों को प्रतिदिन 100/- रुपये का भुगतान किया जा रहा है।

****